झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1109/2017

के साथ

आई. ए. संख्या 7695/2018 और आईए संख्या 11480/2019

सतीश बख्शी .... याचिकाकर्ता।

बनाम

1. झारखंड राज्य, विशेष सचिव माध्यम से, राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची।
2. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, रांची।
3. उपायुक्त, रांची।
4. अपर समाहर्ता, राजस्व, रांची
5. उप समाहर्ता, भूमि सुधार, रांची।
6. अंचल अधिकारी, रांची ..... उत्तरदाता

--- -

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

--- -

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अमर कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : जीपी III के एसी

--- -

आदेश संख्या 03 **दिनांक : 07.01.2020**

वर्तमान रिट याचिका उस पत्र/नोटिस को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो अंचल अधिकारी, रांची- उत्तरदाता संख्या 6 द्वारा 9 फरवरी, 2017 को जारी किया गया है और उसमें याचिकाकर्ता को 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा नवीकरण राशि के रूप में 74,96,600/- रुपये के भुगतान की सहमति मांगी गई है। उसमें यह भी उल्लिखित है कि सहमति नहीं दिए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि याचिकाकर्ता अब उस खास महल संपत्ति का पट्टा नवीकरण के लिए नहीं है, जो के. एम. प्लॉट नंबर 71, एम. एस. प्लॉट नंबर 889, होल्डिंग नंबर 1413, रकवा 21.66 डिसमिल, रांची जिले में स्थित है। फिर बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव संख्या. 07 केएम (विविध) संख्या 313/2014 (पार्ट)

ज्ञापन संख्या 44/रा. दिनांक 3 जनवरी, 2017 को भी रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसके तहत उक्त खास महल भूमि के लिए किराया और सलामी को अवैध रूप से और एकतरफा निर्णय लेकर कई गुना बढ़ा दिया गया है, यद्यपि अंतिम पट्टे के समझौते में यह प्रावधान है कि नवीकरण करते समय किराया पिछले पट्टे के समझौते में निर्धारित राशि से अधिकतम दोगुना तक बढ़ाया जा सकता है।याचिकाकर्ता ने कथित खास महल संपत्ति के संबंध में निम्नथलिखित प्रार्थना भी की है।

याचिकाकर्ता की ओर से, आई. ए. सं. 11480/2019 दायर किया गया है, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2019 को पारित प्रस्ताव संख्या 3586/रा. दिनांक 13 दिसंबर, 2019 को ध्यान में रखते हुए वर्तमान रिट याचिका के निपटारे की मांग की गई है।

कथित अंतवर्ती आवेदन का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने निवेदन किया कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने खास महल भूमि को स्वतंत्र भूमि में परिवर्तित करने के संबंध में 23 सितंबर, 2019 को संकल्प संख्या 3586/रा. पारित किया है, जिसमें खास महल भूमि को स्वंतंत्र भूमि में परिवर्तित करने लिए कुछ शर्तें रखी गईं हैं। उक्त अंतवर्ती आवेदन के साथ दिनांक 23 सितंबर, 2019 के उक्तह प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक-15 के रूप में संलग्न है। यह आगे निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता खास महल भूमि को स्वातंत्र भूमि में परिवर्तित करने के लिए 23 सितंबर, 2019 के प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं तथा सरकार के 11 जनवरी, 2018 के संशोधित परिपत्र के आधार पर पट्टे का नवीकरण कराने के लिए भी तैयार और इच्छुक हैं (जिसकी एक प्रति उक्त वार्तात्मक आवेदन के साथ अनुबंध-14 के रूप में संलग्न की गई है)। साथ ही, 23 सितंबर, 2019 के प्रस्ताव में निर्धारित दर के अनुसार स्वकतंत्र भूमि में रूपांतरण राशि का भुगतान करने के लिए भी तैयार है।

याची के विद्वत वकील के उपर्युक्त निवेदन पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त खास महल भूमि को मुक्त भूमि में परिवर्तित

करने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ एक नया आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए इस रिट याचिका का निष्पादन किया जाता है।संबंधित दस्तावेजों के साथ उक्तप आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार महीने के भीतर नियमानुसार उचित आदेश पारित करेंगे।

तदनुसार, आईए सं. 7695/2018 और आईए संख्या 11480/2019 का भी निष्पादन किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया.)

संजय /